न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–108/2021

सुन्दरम देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मनक चौधरी एवं अन्य .....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
07.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष की तरफ से एक ब्यान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किए गए आदेश दिनांक 20.02.2025 को वापस लेने हेतु एक आवेदन दिनांक 26.09.2025 को दाखिल किया गया। प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन आज दिनांक 07.03.2026 को आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि मुदालहम इस वाद में दिनांक 05.04.2024 को उपस्थित हुए लेकिन मुकदमे से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण मन मुदालहम अपना ब्यान तहरीरी ससमय दाखिल नहीं कर सकें जिसके कारण मन मुदालहम को ब्यान तहरीरी दाखिल करने से दिनांक 20.02.2025 को वंचित कर दिया गया। मन मुदालहम काफी गरी एवं मजदूर किस्म के व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन–यापन करते है तथा इस मुकदमा में संघर्ष कर रहे है। मन मुदालहम अपना ब्यान तहरीरी दाखिल करने में जानबूझकर विलम्ब नहीं किए है बल्कि परिस्थतिवश विलम्ब हुआ है। मन मुदालहम का ब्यान तहरीरी ग्रहण नहीं किया जाता है तो मन मुदालहम को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है मनमुदालहम को ब्यान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किए गए आदेश दिनांक 20.02.2025 को वापस लेते हुए मन मुदालहम का ब्यान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा की जाए। वादीगण द्वारा प्रतिवादी प्रथम पक्ष के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–108/2021

सुन्दरम देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मनक चौधरी एवं अन्य .....प्रतिवादीगण

लगातार 07.03.2026	होता है प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से एक आवेदन दिनांक 26.09.2025 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है कि मनमुदालहम को ब्यान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किए गए आदेश दिनांक 20.02.2025 को वापस लेते हुए मन मुदालहम का ब्यान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा की जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी वाद का निष्पादन उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। चूंकि प्रतिवादी प्रथम पक्ष वाद में संघर्ष करना चाहते है। अतः न्यायहित में आदेश दिनांक 20.02.2025 को वापस लेते हुए प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन दिनांक 26.09.2025 को मो0–1500/– रू0 हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 06.05.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	